

को प्रदर्शित करने वाली टैरिफ पर चौबीसों घंटे गुणवत्ता की अबाधित विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। अभी तक लगभग 56% ग्रामीण परिवारों के पास विद्युत की पहुंच नहीं है। यह सुनिश्चित करने के निर्धारित प्रयास किए जाने चाहिए कि सभी परिवारों तक विद्युत पहुंचाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य तथा युक्तिसंगत दरों पर समाज के गरीब और सीमांत वर्गों को विद्युत की पहुंच सुनिश्चित कराने का कार्य अगले पांच वर्षों तक पूरा हो जाए।

5.1.2 विश्वसनीय ग्रामीण विद्युतीकरण प्रणाली का उद्देश्य निम्नलिखित का सूजन करना होगा-

(क) प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 33/11केवी (अथवा 66/11 केवी) सबस्टेशन और लोड के अनुसार यदि अपेक्षित हो तो इससे अधिक के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण वितरण बैकबोन (आरईडीबी) जो राज्य पारेषण प्रणाली से उपयुक्त रूप से सम्बद्ध हो और इसके नेटवर्क से जुड़ा हो। यह विद्युत उत्पादन के या तो पारंपरिक या अपरांपरिक तरीकों से किया जाएगा जो भी अधिक उपयुक्त या लाभकारी हो।

(ख) आरईडीबी से आपूर्ति फीडर तैयार होंगे और प्रत्येक ग्रामीण व्यवस्था में न्यूनतम एक वितरण ट्रांसफार्मर होगा।

(ग) मांग आधार पर प्रत्येक घर को जोड़ने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर से घरेलू विद्युतीकरण।

(घ) जब भी उपर्युक्त संभव न हो (लागत प्रणाली और ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इष्टतम व्यवस्था) तो स्थानीय वितरण नेटवर्क के साथ विकेन्ड्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ताकि प्रत्येक घर को विद्युत मिल सके। यह उत्पादन या तो पारंपरिक या सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ताकि प्रत्येक घर को विद्युत मिल सके। यह उत्पादन या तो पारंपरिक या फिर अपारंपरिक तरीकों से किया जाएगा, जो भी अधिक उपयुक्त या लाभकारी हो। जहां ग्रिड कनेक्टिविटी बनी हुई है वहां भी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है, यदि इसे किफायती माना जाए।

(ङ.) अवसंरचनात्मक विकास सिंचाई पंपसेटों, छोटी व मझौले उद्योगों, खादी एवं ग्राम उद्योगों तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं समेत कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों की आवश्यकता को पूरा करेगा।

5.1.3 दलित बस्ती, जनजातीय क्षेत्रों और अन्य कमज़ोर वर्गों को घरों का विद्युतीकरण किए जाने में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5.1.4 रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का उपक्रम अगले 5 वर्षों में सभी घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार के स्तर पर नोडल एजेंसी होगी। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इसकी भूमिका को उचित रूप से विकसित किया जाएगा।

5.1.5 वांछित समय-सीमा के भीतर ग्रामीण परिवारों के लिए विद्युत की पहुंच में विस्तार करने का भी लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि वितरण लाइसेंसधारी कम से कम विद्युत की लागत और प्रचालन और अनुक्षण(ओ एंड एम) खर्चों को प्राप्त कर सके, सिवाय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की जीवन रेखा खपत के संबंध में, जिनके लिए कि पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक सहायताओं का लक्ष्य इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि यह कुशल तरीके में विचारित लाभभोगियों तक पहुंच सके। सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण में निवेश के लिए पूँजीगत आर्थिक सहायता और आसान दीर्घकालीन ऋण वित्तपोषण प्रदान करने की आवश्यकता से परिचित है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति लागत कम हो सकेगी। योजना प्रक्रियाओं हेतु समरूपी संगठनात्मक सहायता भी सृजित किए जाने की आवश्यकता है समयपूर्वक क्रियान्वयन सरकार राज्य सरकारों की सहायता करेगी।

5.1.6 आवश्यक संस्थानिक कार्यालयों के लिए तैयार नहीं किया जाएगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना का सृजन हो जाए बल्कि इसलिए भी किया जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्ति प्रणाली का प्रचालन व अनुक्षण हो सके। प्रचालन एवं अनुक्षण तथा लागत वसूली की जिम्मेवारी का निर्वहन यूटिलिटियों द्वारा पंचायतों, स्थानीय प्राधिकारियों, एनजीओ, प्रतिनिधियों आदि के साथ उपयुक्त व्यवस्था बनाकर किया जाएगा।

5.1.7 ग्रामीण विद्युतीकरण के विशाल कार्य के लिए राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों और केंद्र सरकार के बीच उपयुक्त सहयोग और समुदाय की भागीदारी अपेक्षित है सामुदायिक भागीदारी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक होंगे।

5.2 उत्पादन

5.2.1 भारत के विद्युत क्षेत्र प्रचालन में अपर्याप्त उत्पादन की स्थिति का पता चलता है। सन 2012 तक 1000 यूनिट से अधिक प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्ध कराने के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2002-2012 की अवधि के दौरान 1,00,000 मेगावाट से अधिक आवश्यकता आधारित क्षमता अभिवृद्धि की जरूरत होगी।

5.2.2 भारत सरकार ने देश में नई उत्पादन क्षमता के समृद्धि हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कई सुधारपरक उपाय किए हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 में उत्पादन हेतु बहुत ही उदार ढांचे की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार उत्पादन के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। राथ ही थर्मल उत्पादन के लिए सीईए से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की भी जरूरत नहीं है। जल विद्युत उत्पादन के लिए पूँजीगत व्यय की सीमा, जिसके लिए सीईए की स्वीकृति लेनी पड़ती थी, को वर्तमान रस्तर से अधिक किया जाएगा। कैप्टिव उत्पादन को सभी तरह के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है।

5.2.3 सन 2012 तक ऊर्जा और व्यवस्थापन कालीन मांग दोनों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता व्यवस्था की जरूरत है। इसके अलावा संस्थापित क्षमता की समग्र उपलब्धता 85% तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 5% भंडारण आवश्यकता की जरूरत होगी।

ताकि ग्रिड सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा गुणवत्तापरक और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति संभव हो सके ।

5.2.4 क्षमता अभिवृद्धि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और मांग वृद्धि की निरंतर मॉनीटरिंग करने की आवश्यकता होगी और समय-समय आवश्यक समायोजन किए जायेंगे । नई विद्युत उत्पादन क्षमताओं का सृजन करने के लिए आधार भार और ईष्टतम भार के बीच बढ़ते संभावित अंतर को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर विचार किए जाने की आवश्यकता है ।

जल विद्युत उत्पादन

5.2.5 जल विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ और अक्षय स्रोत है । देश में व्यवहार्य हाइड्रो क्षमता के पूर्ण विकास हेतु अधिकतम जोर दिया जाएगा । 50,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया पहले ही आरंभ की जा चुकी है और 33,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने के साथ इस पर जोर-शोर से कार्रवाई की जा रही है ।

5.2.6 इस जल विद्युत शक्यता को तेजी से दोहन किए जाने से राज्यों में विशेषतः पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर में आर्थिक विकास भी होगा क्योंकि इन राज्यों में हमारी जल विद्युत शक्यता का अधिक भाग स्थित है । जल शक्यता वाले राज्यों में इस शक्यता के शीघ्र विकास हेतु जोर दिए जाने की आवश्यकता है ।

5.2.7 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक पूँजी निवेश की जरूरत होती है, अतएव जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण व्यवस्था की जरूरत होगी । केंद्रीय सरकार जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सीपीएसयू को अधिक निधियां उपलब्ध कराएगी ।

5.2.8 राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है की वे भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन हेतु अन्य अनुमोदनों से संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा करें ।

5.2.9 केंद्रीय सरकार नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) जैसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सेवाएं प्रदान करके राज्य सरकारों को उनकी विद्युत परियोजनाओं के त्वरित विद्युत विकास हेतु सहायता प्रदान करेगी ।

5.2.10 इस संबंध में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना(आर एंड आर) संबंधी राष्ट्रीय नीति का उपयुक्त क्रियान्वयन अनिवार्य होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना प्रभावित परिवारों की चिंताओं को पूर्णतः दूर किया जा सके ।

5.2.11 पर्यावरणीय कार्य योजना और आर एंड आर स्कीमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त कार्यविधि के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय किए जायेंगे ।

ताप विद्युत उत्पादन

5.2.12 देश में व्यवहार्य हाइड्रो क्षमता के पूर्ण विकास के लिए कोयला भावी विद्युत की मांग को पूरा करने की दृष्टि से ईधन का प्रमुख स्रोत बना रहेगा।

5.2.13 विशेषतः तटीय स्थलों में आयातित कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों को उनकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। कम राख वाले कोयले के उपयोग से उड़न राख निस्सरण की समस्या कम करने में सहायता मिलेगी।

5.2.14 देश में महत्वपूर्ण लिनाइट संसाधन तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में अवस्थित है और विद्युत उत्पादन हेतु इनका उत्तरोत्तर उपयोग होना चाहिए। लागत को कम करने के लिए लिनाइट खनन प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने की जरूरत है।

5.2.15 विद्युत उत्पादन के लिए ईधन के रूप में गैस का उपयोग किया जाना युक्तिसंगत कीमतों पर इसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। गैस टरबाईन/कम्बाइंड साइकिल गैस टरबाईन (जीटी/सीसीजीटी) स्टेशनों में इस समय प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा रहा है, जो कुल क्षमता का लगभग 10% बैठता है। विद्युत क्षेत्र देश में उपलब्ध कुल गैस का 40% खपत करता है। नई विद्युत उत्पादन क्षमता स्वदेशी गैस पर आधारित होगी जो कीमतें उपयुक्त होने पर विद्युत उत्पादन के प्रमुख स्रोत के रूप में सामने आएगी। देश के विभिन्न भागों को समाहित करने वाले एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड से इस प्रकार की क्षमताओं के विकास में सहायता मिलेगी।

5.2.16 आयातित एलएनजी आधारित विद्युत संयंत्र भी विद्युत के शक्तिता वाले स्रोत हैं और उनके विकास की गति उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। तरल ईधनों को प्रयुक्त करने वाले विद्यमान विद्युत संयंत्रों को विद्युत उत्पादन की लागत में कमी लाने के लिए प्राकृतिक गैस/एलएनजी के इस्तेमाल हेतु स्थानांतरिक किया जाना चाहिए।

5.2.17 थर्मल उत्पादन के संबंध में कम लागत पर उत्पादन और विद्युत की आपूर्ति को ही उपलब्धता विकल्पों में से उपयुक्त ईधन चयन का आधार होना चाहिए। नये उत्पादन स्टेशनों का ईधन स्रोतों अर्थात् पिटहैड स्थलों अथवा भार केंद्रों के निकट स्थापित होना किफायती होगा।

5.2.18 विशेष रूप से आयातित ईधन के संबंध में वाणिज्यिक व्यवहार्यता और आपूर्ति सुरक्षा के लिए उत्पादन कंपनियां मध्यम एवं दीर्घावधिक ईधन आपूर्ति करार करेगी।

न्यूक्लीयर विद्युत

5.2.19 मूल भार मांग को पूरा करने के लिए न्यूक्लीयर विद्युत ऊर्जा का प्रमाणित स्रोत है। न्यूक्लीयर विद्युत संयंत्र कोयला खानों से सुदूर स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं। समग्र लागत प्रोफाइल में न्यूक्लीयर विद्युत की भागीदारी को पर्याप्त बढ़ाया जाना अपेक्षित है। अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत उत्पादन में मितव्ययिता और परिणामी टैरिफ मुख्य विचार वाले बिंदु होंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के निवैश्वों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र की भागेदारी को भी सुविधाजनक बनाया जाएगा ताकि लक्ष्यों से अधिक अर्जित किया जा सके।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

5.2.20 अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने के लिए अपारंपरिक स्रोतों मुख्यतः लघु जल विद्युत, पवन, एवं बाँयोमोस संबंधी शक्यताओं के संदोहन की भी जरूरत होगी। विद्युत अनुपात में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कुल हिस्से में वृद्धि करने के उद्देश्य से उपयुक्त प्रोत्साहक उपायों के जरिए निजी क्षेत्र प्रतिभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम)

5.2.21 विगत कुछ वर्षों के दौरान उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि और थर्मल विद्युत स्टेशनों के संयंत्र भार घटक में वृद्धि विद्युत क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धि है। अधिक क्षमता स्तर प्राप्ति के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण जरूरतों को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है तथा उपलब्ध उत्पादन क्षमता को न्यूनतम स्वीकार्य मानकों तक लाया जाना चाहिए। भारत सरकार इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

5.2.22 स्वीकार्य मानकों के अनुसार निष्पादन न करने वाली परियोजनाओं के लिए आर एंड एम आवश्यक लागत लोभ विश्लेषणों की सुपरिभाषित योजनाओं के अनुसार किए जाने चाहिए। यदि आर एंड एम के माध्यम से किफायती आधार पर प्रचालन व्यवहार्य न हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे संयंत्रों को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

5.2.23 खराब और एड एम रिकॉर्ड और निरंतर प्रचालनात्मक समस्याओं के मामले में रवानित्व परिवर्तन पर विचार करने की जरूरत है ताकि स्वीकार्य स्तर तक इन विद्युत स्टेशनों की क्षमता सुधार हो सके।

कैप्टिव विद्युत उत्पादन

5.2.24 न केवल उद्योग हेतु विश्वसनीय, गुणवत्ताप्रक और किफायती विद्युत सुनिश्चित किए जाने हेतु बल्कि उद्योग के शीघ्र व दक्ष विकास के जरिए रोज़गार के अवसरों के सृजन को सुगम बनाने की दृष्टि से भी कैप्टिव संयंत्रों की स्थापना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में उदार प्रावधान बनाए गए हैं।

5.2.25 समूह में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने से संबंधित प्रावधान का उद्देश्य ऐसे लघु और मझौले उद्योगों को किफायती लागत से ईष्टतम आकार वाले संयंत्र की स्थापना करने में सक्षम बनाना है, जो इस स्थिति में नहीं हैं। यह नोट करने की आवश्यकता है कि देश भर में लघु और मझौले उद्योगों का दक्ष विस्तार करने से अधिकाधिक रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।

5.2.26 भारत के कई कैप्टिव और आरक्षित विद्युत उत्पादक संगठनों में अधिशेष क्षमता है जिसकी आपूर्ति कुछ समय अवधियों के दौरान ग्रिड को निरंतर की जा सकती है। इन संयंत्रों में पर्याप्त और

प्रतिरक्षितम् क्षमता विद्यमान है जिनका दोहन विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को अधिनियम के अंतर्गत खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं और लाइसेंसधारियों तक पहुंच प्राप्त है। कैप्टिव विद्युत उत्पादकों के लिए ग्रिड इंटर कनेक्शनों को अधिनियम की धारा 30 के अनुसार सुगम बनाया जायेगा। ऐसा प्राथमिकता आधार पर किया जाना चाहिए ताकि कैप्टिव विद्युत उत्पादन ग्रिड के साथ वितरित विद्युत उत्पादन के रूप में उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य से सह-विद्युत उत्पादन समेत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से बची क्षमता ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंसधारक और कैप्टिव विद्युत उत्पादकों के बीच यथोचित वाणिज्यिक व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता होगी। उपरोक्त विनियामक आयोग कैप्टिव विद्युत उत्पादकों और लाइसेंसधारियों के बीच होने वाले ऐसी वाणिज्यिक व्यवस्थाओं पर नियंत्रकीय अवलोकन करेगा और लाइसेंसधारी द्वारा कैप्टिव संयंत्रों से विद्युत खरीदे जाने पर टैरिफ का निर्धारण करेगा।

5.3 पारेषण

5.3.1 इश के लिए संतुलित और समेकित विद्युत प्रणाली के विकास हेतु पारेषण प्रणाली में पर्याप्त एवं समयबद्ध निवेश, उसका दक्ष और समन्वित संचालन की आवश्यकता होती है।

5.3.2 उत्पादन में व्यापक वृद्धि और विद्युत बाजार के विकास को भी ध्यान में रखते हुए पारेषण क्षमता पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है। नई उत्पादन क्षमताओं की योजना बनाते समय संबद्ध पारेषण क्षमता की आवश्यकता का साथ-साथ आंकलन किए जाने की आवश्यकता होगी ताकि विद्युत उत्पादन क्षमता और पारेषण सुविधाओं के बीच विसंगति से बन सके। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीति में निम्नलिखित पर जोर दिया गया है-

- केंद्र सरकार विद्युत के अंतर्ज्ञीय पारेषण हेतु पर्याप्त ढांचा तैयार करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिशेष द्वारा लाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत का पारेषण करने के लिए विद्युत उत्पादन हेतु दोहित क्षमता का दोहन किए जाने हेतु राष्ट्रीय ग्रिड के निरंतर विकास को आसान बनाए।
- अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वयन स्थापित करने की कार्रवाई में राष्ट्रीय विद्युत योजना के आधार पर केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) और राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) का प्रमुख उत्तरदायित्व नेटवर्क आयोजना और विकास का है। सीटीयू राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली, योजना और विकास हेतु उत्तरदायी है। एसटीयू राज्य के अंतर्गत पारेषण प्रणाली की आयोजना एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। सीटीयू को किफायती तरीके से पारेषण बाधा दूर करने के संयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एसटीयू के साथ समन्वय स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी।
- नेटवर्क विस्तार आयोजना और कार्यान्वयन उन प्रत्याशित पारेषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जो कि खुली पहुंच तंत्र की अनुषांगिक होंगी। लाभभोगियों के साथ पूर्व समझौता नेटवर्क विस्तार एक पूर्व शर्त नहीं होंगी। केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी/राज्य पारेषण यूटिलिटी को स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श से आवश्यकताओं की पहचान करके और विनियामक अनुमोदनों के बाद निष्पादन किए जाने के पश्चात् नेटवर्क विस्तार करना चाहिए।

- ढांचागत सूचना प्रचार और प्रकटीकरण प्रक्रियाएं सीटीयू और एसटीयू द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित की जानी चाहिए कि उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं और योजनाओं की स्थिति से सभी स्टेकहोल्डर अवगत हो सकें। ये प्रक्रियाएं सम्पूर्ण आयोजना प्रक्रियाओं का भाग होनी चाहिए।
- राज्य विद्युत आयोग जिरने अभी तक विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत ग्रिड कोड अधिसूचित नहीं किया है, को यह सितंबर 2005 तक अधिसूचित कर लेना चाहिए।

5.3.3 उन विद्युत उत्पादक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए पारेषण में खुली पहुंच प्रदान की गई है जो अब देश भर में विभिन्न वितरण लाइसेंसधारियों को बिक्री कर सकते हैं। इससे सस्ती विद्युत उपलब्ध हो जाएगी। अधिनियम प्रारंभ से ही पारेषण में अत्यधिक खुली पहुंच का शासनादेश देता है। प्रतियोगी विद्युत उत्पादकों से प्रत्यक्ष रूप से विद्युत की खरीद करने के लिए वृहत् उपभोक्ताओं को सक्षम बनाने हेतु यदि संबंधित राज्य आयोगों द्वारा वितरण नेटवर्कों में खुली पहुंच प्रदान की जाती है तो बाजार में प्रतिस्पर्धा होने से सस्ती व विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ेगी। इसके लिए न्यूनतम विकसित संचारण के साथ भार प्रेषण सुविधाओं और वास्तविक समय आधार पर आंकड़ा संग्रहण क्षमता की आवश्यकता है। हालांकि यह मामला वर्तमान में क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों में है फिर भी यथोचित राज्य आयोगों को यह सूचित करना चाहिए कि जहां भी आवश्यक हो राज्य स्तर पर प्रौद्योगिकी उन्नयन के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएं और जून, 2006 तक प्राप्त की जाएं।

5.3.4 अधिनियम पारेषण यूटिलिटियों/पारेषण लाइसेंसधारियों के विद्युत व्यवसाय में लिप्त होने पर प्रतिबंध लगता है। उत्पादन कंपनियों के विद्युत क्रय समझौते(पीपीए) को आपसी समझौते के अधीन वितरण कंपनियों के साथ उचित रूप से निर्धारित किए जाने की आवश्यकता होगी। जहां तक आवश्यक हो, ऐसा निर्धारण इस तरीके से किए जा सकते हैं कि वितरण कंपनियों के विभिन्न लोड प्रोफाइलों का ध्यान रखा जा सके। यथोचित आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पारेषण प्रभार के भुगतान पर लाइसेंसी को विद्युत आपूर्ति करने वाले प्रतियोगी विद्युत उत्पादकों को अत्यधिक खुली पहुंच प्रदान की जायेगी। यथोचित आयोग जून 2005 तक पारेषण प्रभार स्थापित करेगा।

5.3.5 खुली पहुंच और विद्युत बाजार के विकास को सुगम बनाने के लिए और ग्रिड के सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन के लिए भी पारेषण प्रणाली में पर्याप्त मार्जिन सृजित किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मानकों और पद्धतियों के अनुसार अतिरिक्तता स्तरों और मार्जिन दोनों को पूरा करने के लिए पारेषण क्षमता की आयोजना और निर्माण किया जाएगा। एक सुनियोजित और ठोस पारेषण प्रणाली से न केवल पारेषण क्षमताओं बल्कि विद्युत उत्पादन सुविधाओं का ईष्टतम समुपयोजन भी सुनिश्चित होगा और इससे विद्युत की किफायती सुपुर्दग्गी का अनन्तिम लक्ष्य प्राप्त करना सुगम बन जाएगा। क्षेत्र में विद्युत के किफायती पारेषण के लिए सीईआरसी द्वारा एक राष्ट्रीय पारेषण टैरिफ कार्यदांचे को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। टैरिफ तंत्र दूरी व दिशा के प्रति संवेदनशील होगा और आपूर्ति की मात्रा से संबंधित होगा। जहां तक संभव होगा अंतरराज्यीय प्रणाली और राज्य की प्रणाली में भी पारेषण कीमत निर्धारण कार्यदांचे की निरंतर आवश्यकता बनाए रखी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्यमान नेटवर्क की कमियों के परिणामस्वरूप गैर-युक्तिसंगत पारेषण हानि की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता पैदा न हो।